अनुदान संख्या 57 – उच्च शिक्षा विभाग
GRANT No. 57–DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue**:					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	9208,50,00		9208,62,00	6256,49,19	–2952,12,81
पूरक	Supplementary	12,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					2941,17,15
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			1,00,00	. .	–1,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat – Social Services				
मू.	O.	3410.00	3770.85	3627.85	–143.00
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	358.85			
मुख्य शीर्ष "2202" सामान्य शिक्षा	Major Head "2202" General Education				
मू.	O.	461232.00	409196.41	408397.56	–798.85
पू.	S.	5.00			
पु.	R.	–52040.59			
मुख्य शीर्ष "2203" तकनीकी शिक्षा	Major Head "2203" Technical Education				
मू.	O.	385844.00	206006.57	205956.65	–49.92
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	–179839.43			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	65186.00			
पू.	S.	2.00	2350.15	2250.00	-100.15
पु.	R.	-62837.85			
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	5166.00			
पू.	S.	1.00	5416.87	5415.53	-1.34
पु.	R.	249.87			

(I) 123677.00 लाख रु. का प्रावधान (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) छियालीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 123038.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2202'' -

(क) ''विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा - अन्य व्यय - श्री गुरू ग्रन्थ साहिब राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान'' - 500.00 लाख रु. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निधीयन किए जाने और स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(ख) ''सामान्य'' -

(i) ''छात्रवृत्ति - महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति'' - 1260.00 लाख रु. स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(ii) ''अन्य व्यय - आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन'' - 45180.00 लाख रु. सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त न किए जाने की वजह से निगरानी समिति की सिफारिशों को लागू न किए जाने के कारण थे।

(I) Provision of Rs. 123677.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) remained wholly unutilised under forty six heads; of these Rs.123038.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2202" –

(a) "University and Higher Education-Other Expenditure - National Institute of Studies in Sri Guru Granth Sahib" - Rs.500.00 lakhs - due to funding by University Grants Commission and non-approval of scheme.

(b) "General" –

(i) "Scholarships - Scholarship for College and University Students" - Rs.1260.00 lakhs - due to non-finalisation of the scheme.

(ii) "Other Expenditure – National Mission in Education through ICT" - Rs.45180.00 lakhs - due to non-implementation of oversight committee recommendations owing to non-receipt of approval of competent authority.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2203'' -

(क) ''पॉलिटेकनिक्स - विद्यमान पॉलिटेकनिक्स का उन्नयन/नए पॉलिटेकनिक्स की स्थापना'' - 4500.00 लाख रु. स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(ख) ''इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान - तीन नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना'' - 8000.00 लाख रु. नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना न किए जाने, औपचारिकताएं पूरी न किए जाने और व्यय वित्त समिति की बैठक में विलंब होने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष ''2552'' -

(क) ''विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा - विश्वविद्यालयों को सहायता'' -

(i) ''राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय)'' - 1080.00 लाख रु.;

(ii) ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय विश्वविद्यालय आदि'' - 24923.00 लाख रु.;

(ख) ''भाषा विकास - निदेशन तथा प्रशासन - केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) तथा क्षेत्रीय भाषा केंद्र'' - 139.70 लाख रु.;

(ग) ''भाषा विभाग - आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन'' -

(i) ''अन्य स्कीमें'' - 210.00 लाख रु.;

(ii) ''राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद्'' - 174.00 लाख रु.; और

(घ) ''सामान्य (सामान्य शिक्षा) - अनुसंधान - भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद्'' - 222.00 लाख रु.।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों/परियोजनाओं पर

(B) Major Head "2203" -

(a) "Polytechnics - Upgradation of existing/setting up of new polytechnics" - Rs.4500.00 lakhs - due to non-finalisation of the scheme.

(b) "Engineering, Technical Colleges and Institutes - Setting up of three New IITs" - Rs.8000.00 lakhs - due to non-setting up of new Indian Institute of Technologies, non-completion of formalities and delay in Expenditure Finance Committee meeting.

(C) Major Head "2552" –

(a) "University & Higher Education – Assistance to Universities" -

(i) "Establishment of National University (Indira Gandhi National Open University)" - Rs.1080.00 lakhs;

(ii) "University Grants Commission, Central Universities etc." - Rs.24923.00 lakhs;

(b) "Language Development - Direction & Administration - Central Institute of Indian Languages, Mysore (Bhartiya Bhasha Sansthan) and Regional Language Centres" - Rs.139.70 lakhs;

(c) "Language Development - Promotion of Modern Indian Languages and Literature" -

(i) "Other schemes" - Rs.210.00 lakhs;

(ii) "National Council for Promotion of Urdu Language" - Rs.174.00 lakhs; and

(d) "General (General Education)-Research-Indian Council of Social Science Research" - Rs.222.00 lakhs.

Provisions under the above six heads remained unutilised due to re-appropriation of part

उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ङ) ''सामान्य (सामान्य शिक्षा) - छात्रवृत्तियां - कालेज तथा विश्वविद्यालय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति'' - 140.00 लाख रु. स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(च) ''तकनीकी शिक्षा - प्रशिक्षण'' -

(i) ''राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान'' - 240.00 लाख रु. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न होने की वजह से निगरानी समिति की सिफारिशों को लागू न किए जाने के कारण थे।

(ii) ''प्रशिक्षु प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति और वृत्तिका कार्यक्रम'' - 200.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों/परियोजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(छ) ''तकनीकी शिक्षा - पॉलिटेकनिक्स'' -

(i) ''गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लिए अनुदान - सामुदायिक पॉलिटेकनिक्स'' - 200.00 लाख रु. स्कीम को बंद किए जाने के कारण थे।

(ii) ''विद्यमान पॉलिटेकनिक्स का उन्नयन/नए पॉलिटेकनिक्स की स्थापना'' - 500.00 लाख रु.सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त न होने की वजह से स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(ज) ''तकनीकी शिक्षा - इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान'' -

(i) ''भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान'' - 17730.00 लाख रु.;

(ii) ''भारतीय प्रबंधन संस्थान'' - 1000.00 लाख रु.;

funds/funds to functional heads for utilisation on schemes/projects for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(e) "General (General Education) – Scholarships - Scholarship for College & University Students" - Rs.140.00 lakhs – due to non-finalisation of scheme.

(f) "Technical Education- Training" -

(i) "National Institute of Technical Teachers Training & Research (NITTTRs)" - Rs.240.00 lakhs – due to non-implementation of Oversight Committee recommendations owing to non-receipt of approval of competent authority.

(ii) "Programme for Apprenticeship Training Scholarships and Stipends" - Rs.200.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on the schemes/projects for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender the balance amount.

(g) "Technical Education - Polytechnics" -

(i) "Grants of Quality Improvement Programme - Community Polytechnics" - Rs.200.00 lakhs – due to discontinuation of scheme.

(ii) "Upgradation of Existing/Setting up of New Polytechnics" - Rs.500.00 lakhs – due to non-finalisation of scheme owing to non-receipt of approval from competent authority.

(h) "Technical Education - Engineering, Technical colleges and Institutes" -

(i) "Indian Institutes of Technology" - Rs.17730.00 lakhs;

(ii) "Indian Institutes of Management" - Rs.1000.00 lakhs;

(iii) ''केंद्रीय प्रौद्यागिकी संस्थान, कोकड़ाझाड़'' - 549.50 लाख रु. (मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 0.50 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(iv) ''अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों सहित)'' - 10060.00 लाख रु.; और

(झ) ''सामान्य (सामान्य शिक्षा) - अन्य व्यय'' -

(i) ''क्षेत्रीय सघनता और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम'' - 550.00 लाख रु.।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों/परियोजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ii) ''आईसीटी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा मिशन'' - 5020.00 लाख रु. निगरानी समिति की सिफारिशों के न्यायाधीन होने की वजह से स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(ञ) ''भाषा विकास - अन्य व्यय - केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय भाषा केंद्र'' - 110.30 लाख रु.; और

(ट) ''तकनीकी शिक्षा - पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास - पूर्वोत्तर क्षेत्र क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर'' - 549.50 लाख रु. (मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 0.50 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) थे।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों/परियोजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(iii) "Central Institute of Technology (CIT) Kokrajhar" - Rs.549.50 lakhs (including token supplementary grant of Rs.0.50 lakh obtained in March, 2008);

(iv) "All India Council of Technical Education (A.I.C.T.E.) (Including National Institutes of Technology)" - Rs.10060.00 lakhs; and

(i) "General (General Education) – Other Expenditure" -

(i) "Area Intensive & Madrasa Modernisation Programme" – Rs.550.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on the schemes/projects for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(ii) "Nation Mission in Education through ICT" - Rs.5020.00 lakhs – due to non-finalisation of scheme owing to Sub-Judigation of Oversight Committee Recommendations.

(j) "Language Development - Other Expenditure - Central Institute of Indian Languages, Mysore (Bhartiya Bhasha Sansthan) and Regional Language Centres" - Rs.110.30 lakhs; and

(k) "Technical Education – Development of North Eastern Areas - North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar" – Rs.549.50 lakhs (including token supplementary grant of Rs.0.50 lakh obtained in March, 2008).

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on the schemes/projects for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष ''2202'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा'' -

(क) ''विश्वविद्यालयों को सहायता'' -

(i) ''राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय)'' - 3054.00 लाख रु. की बचत (9820.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ii) ''राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय'' - 127.00 लाख रु. की बचत (1167.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें पिछले वर्षों का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुईं।

(iii) ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय विश्व-विद्यालय'' - 956.20 लाख रु. की बचत (मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 1.20 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 376353.20 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न होने की वजह से निगरानी समिति की सिफारिशों को लागू न किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''गैर-शासकीय कालेज और संस्थानों को सहायता - डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल महाविद्यालय, दिल्ली'' - 150.00 लाख रु. की बचत (198.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विशेष व्यवहार्य परियोजना को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''भाषा विकास'' -

(क) ''आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन'' -

(i) ''अन्य स्कीमें'' - 1120.05 लाख रु. की बचत (मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 0.05 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 2630.05 लाख रु. के कुल

(II) Under Major Head "2202" – savings occurred under the following heads:-

(A) "University and Higher Education" –

(a) "Assistance to Universities" -

(i) "Establishment of National University (Indira Gandhi National Open University)" - saving of Rs.3054.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9820.00 lakhs); and

(ii) "National University of Education Planning and Administration" - saving of Rs.127.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1167.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balance of previous years.

(iii) "University Grants Commission, Central Universities" - saving of Rs.956.20 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.376353.20 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.20 lakhs obtained in March, 2008) was due to non-implementation of Oversight Committee recommendations owing to non-receipt of approval of competent authority.

(b) "Assistance to Non-Government College and Institutes - Dr. Zakir Hussain Memorial College, Delhi" - saving of Rs.150.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.198.00 lakhs) was due to non-approval of viable special project.

(B) "Language Development" -

(a) "Promotion of Modern Indian Languages and Literature" -

(i) "Other Schemes" - saving of Rs.1120.05 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2630.05 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.05 lakh

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा स्कीम का अंतरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को तथा भाषा शिक्षक की नियुक्ति की स्कीम हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा को अंतरित किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''तमिल भाषा का विकास'' - 100.53 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान की स्थापना को सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन समय पर प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) ''अन्य व्यय - केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय भाषा केंद्र'' - 724.81 लाख रु. की बचत (971.80 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थाई वित्त समिति/व्यय वित्त समिति की बैठक के समय पर मूर्तरूप न लेने की वजह से नया भाषाई भारतीय सर्वेक्षण और पाली का विकास स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''सामान्य'' -

(क) ''निदेशन और प्रशासन - विदेश में स्थित शिक्षण संस्थाएं'' - 127.57 लाख रु. की बचत (मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 0.05 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 458.05 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरों की नियुक्ति की भिन्न-भिन्न तारीखें होने और रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(ख) ''अनुसंधान'' -

(i) ''भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद'' - 405.69 लाख रु. की बचत (4398.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्षों का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ii) ''बौद्धिक संपत्ति शिक्षा, अनुसंधान और लोक अग्रसरण संबंधी स्कीम'' - 237.40 लाख रु. की बचत (390.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना

obtained in March, 2008) was due to transfer of Central Institute of English and Foreign Language scheme to University Grants Commission and scheme of appointment of language teacher to Hindi Shikshan Mandal, Agra.

(ii) “Development of Tamil Language” - saving of Rs.100.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to non-receipt of approval of competent authority in time to set up Central Institute of Classical Tamil.

(b) “Other Expenditure - Central Institute of Indian Languages, Mysore (Bhartiya Bhasha Sansthan) and Regional Language Centres” - saving of Rs.724.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.971.80 lakhs) was due to non-approval of scheme of New Linguistic Survey of India and Development of Pali owing to non-materialization of Standing Finance Committee/Expenditure Finance Committee meeting in time.

(C) “General” –

(a) “Direction and Administration - Educational Institutions Abroad” – saving of Rs.127.57 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.458.05 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.05 lakh obtained in March, 2008) was due to staggered date of appointment of National Research Professors and non-filling up of vacant post.

(b) “Research” -

(i) “Indian Council of Social Science Research” - saving of Rs.405.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4398.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous years.

(ii) “Scheme for Intellectual Property Education, Research and Public Outreach” – saving of Rs.237.40 lakhs

में) अनुदानग्राही संगठन से उपयोग प्रमाण पत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2203'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''प्रशिक्षण - राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान'' - 872.76 लाख रु. की बचत (4015.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) ''तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता - भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर को अनुदान'' - 15715.00 लाख रु. की बचत (28315.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न होने और एकमुश्त अनुदान स्कीम के अंतर्गत अनुरूपयोजी अनुदान के लिए कम राशि का हकदार होने की वजह से निगरानी समिति की सिफारिशों को लागू न किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''पॉलिटेकनिक्स'' -

(क) ''गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लिए अनुदान - सामुदायिक पॉलिटेकनिक्स'' - 1682.11 लाख रु. की बचत (1800.00 लाख रु के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को बंद कर दिए जाने के कारण हुई।

(ख) ''विकलांग व्यक्तियों के लिए पॉलिटेकनिक्स'' - 143.00 लाख रु. की बचत (360.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्षों के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(घा) ''इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान'' -

(क) ''भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान'' - 65970.10 लाख रु. की बचत (मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 0.10 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 155370.10 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(against the sanctioned provision of Rs.390.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates from grantee Organisation.

(III) Under Major Head "2203" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Training - National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTRs)" - saving of Rs.872.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4015.00 lakhs); and

(B) "Assistance to Universities for Technical Education - Grants to Indian Institute of Science, Bangalore" – saving of Rs.15715.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.28315.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-implementation of Oversight Committee recommendations owing to non-receipt of approval of competent authority and entitlement of less amount for matching grant under block grant scheme.

(C) "Polytechnics" –

(a) "Grants for Quality Improvement Programme - Community Polytechnics" - saving of Rs.1682.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1800.00 lakhs) was due to discontinuation of the scheme.

(b) "Polytechnic for Disabled Persons" – saving of Rs.143.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.360.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates of previous years.

(D) "Engineering, Technical Colleges and Institutes" -

(a) "Indian Institute of Technology" – saving of Rs.65970.10 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.155370.10 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.10 lakh obtained in March, 2008);

(ख) ''भारतीय प्रबंधन संस्थान'' - 5630.10 लाख रु. की बचत (मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 0.10 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 14400.10 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) ''राष्ट्रीय फाउंड्री एवं फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची'' - 485.10 लाख रु. की बचत (मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 0.10 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 1695.10 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घ) ''योजना और वास्तुशिल्प विद्यालय'' - 1230.00 लाख रु. की बचत (2230.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ङ) ''संत लोंगोवाल इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान'' - 2775.00 लाख रु. की बचत (3650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(च) ''भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद'' - 1886.10 लाख रु. की बचत (मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 0.10 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 4686.10 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(छ) ''भारतीय खान विद्यालय, धनबाद'' - 3520.85 लाख रु. की बचत (8448.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ज) ''भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर'' - 1200.10 लाख रु. की बचत (मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 0.10 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 2320.10 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(झ) ''भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर'' - 1400.00 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ञ) ''अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों सहित)'' - 53608.96 लाख रु. की बचत (मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 0.10

(b) "Indian Institutes of Management" - saving of Rs.5630.10 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.14400.10 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.10 lakh obtained in March, 2008);

(c) "National Institute for Foundry and Forge Technology, Ranchi" - saving of Rs.485.10 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1695.10 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.10 lakh obtained in March, 2008);

(d) "School of Planning and Architecture" - saving of Rs.1230.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2230.00 lakhs);

(e) "Sant Longowal Institute of Engineering and Technology" – saving of Rs.2775.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3650.00 lakhs);

(f) "Indian Institute of Information Technology, Allahabad" – saving of Rs.1886.10 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.4686.10 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.10 lakh obtained in March, 2008) ;

(g) "Indian School of Mines, Dhanbad" - saving of Rs.3520.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8448.00 lakhs);

(h) "Indian Institute of Information Technology & Management, Gwalior" - saving of Rs.1200.10 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2320.10 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.10 lakh obtained in March, 2008);

(i) "Indian Institute of Information Technology at Jabalpur" – saving of Rs.1400.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 2500.00 lakhs); and

(j) "All India Council for Technical Education (AICTE) (Including National Institutes of Technology)" – saving of Rs.53608.96 lakhs (against the total sanctioned provision

लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 112650.10 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दस शीर्षों के अंतर्गत बचतें सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न होने की वजह से निगरानी समिति की सिफारिश लागू न किए जाने के कारण हुईं।

(ट) ''राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई'' - 508.48 लाख रु. की बचत (3985.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एकमुश्त अनुदान स्कीम के अंतर्गत संस्थान के कम हकदार होने के कारण हुई।

(ठ) ''शिक्षा अनुसंधान संबंधी भारतीय विज्ञान संस्थान'' - 6500.00 लाख रु. की बचत (12500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्यकलापों की धीमी गति होने की वजह से शिक्षा अनुसंधान संबंधी नए भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना न किए जाने के कारण हुई।

(ञ) ''अन्य व्यय - तकनीकी शिक्षा - भारत सरकार की गुणवत्ता सुधार परियोजना'' - 5279.00 लाख रु. की बचत (8000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिमय दर में उतार-चढ़ाव आने की वजह से केंद्रीय रूप से निधीयन संस्थाओं के कार्यक्रम कार्यकाल संबंधी आंबटन में कमी आने और केंद्रीय रूप से निधीयन संस्थाओं के अच्छा प्रदर्शन करने पर उनके कार्यक्रम कार्यकाल आवंटन में वृद्धि किए जाने संबंधी प्रस्ताव के मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सामान्य शिक्षा - अन्य अनुदान - क्षेत्र सघन तथा मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम'' के अंतर्गत 454.28 लाख रु. की बचत (4949.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ''भाषा शिक्षक की नियुक्ति'' स्कीम का अंतरण ''क्षेत्र सघन तथा मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम'' को किए जाने के कारण हुई।

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत 187.57 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक लेकिन 100.00 लाख रु. से कम तथा स्वीकृत प्रावधान का 37 प्रतिशत और 67 प्रतिशत थीं।

of Rs.112650.10 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.10 lakh obtained in March, 2008).

Savings under the above ten heads were due to non-implementation of Oversight Committee recommendation owing to non-receipt of approval of competent authority.

(k) “National Institute of Industrial Engineering Mumbai” - saving of Rs.508.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3985.00 lakhs) was due to less entitlement of the institute under Block Grant Scheme.

(l) “Indian Institutes of Science for Education Research” – saving of Rs.6500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12500.00 lakhs) was due to non-setting up of new Indian Institute of Science for Education Research owing to slow pace of construction activities.

(E) “Other Expenditure -Technical Education – Quality Improvement Project of Government of India (EAP)” – saving of Rs.5279.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8000.00 lakhs) was due to reduction in Programme Life Allocation of Centrally Funded Institutions owing to fluctuation of exchange rate and non-materialisation of proposal to increase the Programme Life Allocation of well performing Centrally Funded Institutions.

(IV) Under Major Head “3601” – “Grants for Central Plan Schemes - General Education - Other Grants - Area Intensive & Madarsa Modernisation Programme”– saving of Rs.454.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4949.00 lakhs) was due to transfer of the scheme “Appointment of language Teacher” to “Area Intensive and Madarsa Modernisation Programme”.

(V) Under two heads savings of Rs.187.57 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 37 percent and 67 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (4423.12 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अगस्त, 2007, नवंबर, 2007 और मार्च, 2008 में 12.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2251'' - ''सचिवालय - उच्च शिक्षा विभाग'' - 358.85 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 215.85 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2202'' -

(क) ''माध्यमिक शिक्षा - गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता - मानव मूल्यों की शिक्षा के लिए अभिकरणों को सहायता'' - 285.07 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 284.57 लाख रु. था।

(ख) ''विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा'' -

(i) ''गैर-शासकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता - राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय और कालेज की स्थापना - दूरस्थ शिक्षा में नेटवर्क - राष्ट्रमंडल शिक्षण में भारत का योगदान'' - 154.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 153.00 लाख रु. था।

(ii) ''अन्य व्यय'' -

(1) ''पुस्तक संवर्धन के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास/संस्थाओं को अनुदान'' - 148.05 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 148.00 लाख रु. था।

(2) ''भारत में संयुक्त राष्ट्र शिक्षा संस्था को आय कर और सीमा शुल्क की वापसी'' - 105.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 104.95 लाख रु. था।

(ग) ''भाषा विकास'' -

2.(I) The above savings were partly (Rs.4423.12 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.12.00 lakhs in August, 2007, November, 2007 and March, 2008 under the following major heads:-

(A) Major Head “2251” - “Secretariat – Department of Higher Education” - Rs.358.85 lakhs. Actual excess, however, was Rs.215.85 lakhs.

(B) Major Head “2202” –

(a) “Secondary Education - Assistance to Non-Govt. Secondary Schools -Assistance to Agencies for Education in Human Values” - Rs.285.07 lakhs. Actual excess, however, was Rs.284.57 lakhs.

(b) “University and Higher Education” -

(i) “Assistance to Non-Government College and Institutes - Setting up of Commonwealth University & College - Network In Distance Education - India’s Contribution to the Commonwealth of Learning” - Rs.154.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.153.00 lakhs.

(ii) “Other Expenditure” -

(1) “Grants to National Book Trust/ Institutions for Book Promotion” - Rs.148.05 lakhs. Actual excess, however, was Rs.148.00 lakhs.

(2) “Refund of Income Tax and Customs Duty to United States Education Foundation in India” - Rs.105.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.104.95 lakhs.

(c) “Language Development” –

(i) ''आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन - सिंधी भाषा संवर्धन संबंधी राष्ट्रीय परिषद'' - 70.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 69.50 लाख रु. हुआ।

(ii) ''संस्कृत शिक्षा - राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान को अनुदान'' - 250.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 249.50 लाख रु. था।

(गा) मुख्य शीर्ष ''2203'' -

(क) ''प्रशिक्षण - प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर और चेन्नई'' - 65.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 64.90 लाख रु. था।

(ख) पॉलिटेकनिक्स - पॉलिटेकनिक्स शिक्षा में सुधार के लिए विश्व बैंक परियोजना'' - 85.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 84.00 लाख रु. था।

(ग) ''इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान'' -

(i) ''इंजीनियरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संकाय'' - 200.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 199.90 लाख रु. था।

(ii) ''केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझाड़'' - 809.00 लाख रु.।

(घा) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास - पूर्वोत्तर क्षेत्र विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान - इटानगर'' - 1094.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1093.00 लाख रु. था।

(ङ) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - भाषा विकास - आधुनिक भारतीय भाषा और साहित्य का संवर्धन - भाषा शिक्षकों की नियुक्ति'' - 799.15 लाख रु.।

(i) "Promotion of Modern Indian Languages and Literature - National Council for Promotion of Sindhi Language" – Rs.70.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.69.50 lakhs.

(ii) "Sanskrit Education - Grants to Rastriya Ved Vidya Pratisthan" - Rs.250.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.249.50 lakhs.

(C) Major Head "2203" -

(a) "Training – Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur and Chennai" –Rs.65.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.64.90 lakhs.

(b) "Polytechnics – World Bank Project for improvement of Polytechnic Education" – Rs.85.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.84.00 lakhs.

(c) "Engineering, Technical Colleges and Institutes" –

(i) "Indian National Digital Library in Engineering Science & Technology (INDEST) Consortium" - Rs.200.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.199.90 lakhs.

(ii) "Central Institute of Technology (CIT), Kokrajhar" – Rs.809.00 lakhs.

(D) Major Head "2552" – "Development of North Eastern Areas - North Eastern Regional Institute of Science and Technology – Itanagar" – Rs.1094.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1093.00 lakhs.

(E) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Language Development – Promotion of Modern Indian Language and Literature – Appointment of Language Teachers" - Rs.799.15 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''2202'' - ''भाषा विकास - आधुनिक भारतीय भाषा और साहित्य का संवर्धन - राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं- 174.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1566.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, 100.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''4202'' - ''शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2202" – "Language Development – Promotion of Modern Indian Languages and Literature – National Council for Promotion of Urdu Language" – excess of Rs.174.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1566.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the capital section of the grant, provision of Rs.100.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4202" – "Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture" and was eventually surrendered.